राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग

क्रमांकः प. 1 (29)/चिकि. एवं स्वा./ग्रुप–3/1996 जयपुर, दिनांक 28/4/09

निदेशक (एड्स),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

NO/PA/Dir/AIDS/
A-C 201
29 APR 2009
D. M. & H. S. (AIDS)

विषय :–राजस्थान राज–पत्र में अधिसूचना का प्रकाशन।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस विभाग द्वारा जारी अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 01.10.2008 का राजस्थान राज–पत्र विशेषांक में राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर द्वारा प्रकाशित कर दिया गया हैं। जिसकी एक छाया प्रति सूचनार्थ संलग्न कर प्रेषित हैं।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

भवदीय

उप शासन सचिव

53

उप शासन सचिव (ग्रुप-3) विभाग
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, जयपुर
आवक क्रमांक 1600
दिनांक 16/4/09

रा. के. मु. ज.-570-10,000-08.

राजस्थान सरकार

कार्यालय अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर

श्री प्रमुख शासन सचिव,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

क्र. 1051 /सूचना/राज-पत्र/(2)   दिनांक 30-3-2009

विषय:--राजस्थान राज-पत्र में अधिसूचना का प्रकाशन।

अधिसूचना सं. प.1(29) चिस्वा/ग्रुप-3/96 दिनांक 1-10-08 को राजस्थान राज-पत्र अंक 80 दिनांक 13-10-08 भाग 1(ख) के पृष्ठ संख्या 489(1) से 489(3) पर प्रकाशित कर दिया गया है। कृपया नोट कर लें। राज-पत्र का सम्बन्धित भाग इसके साथ संलग्न है।

संलग्न--एक प्रति

कृते-अधीक्षक

1051 भाग II
30.3.09

54

राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*

सत्यमेव जयते

आश्विन 21, सोमवार, शाके 1930–अक्टूबर 13, 2008

Asvina 21, Monday, Saka 1930–October 13, 2008

भाग 1 (ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 1, 2008

[redacted] **संख्या प. 1 (29) चिस्वा/ग्रुप–3/96:**–सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेद और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 (2003 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 34) की धारा 28 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार निम्न वर्णित प्राधिकृत व्यक्तियों को उनकी अपनी–अपनी क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर धारा 4 के अधीन किये गये ऐसे अपराध का शमन करने की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए इसके द्वारा प्राधिकृत करती है जिसमें दो सौ रुपये से अनधिक की रकम हो :–

क्र. सं.	कार्रवाई करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति	सार्वजनिक स्थान का वितरण
1.	बिक्री कर/स्वास्थ्य/परिवहन के निरीक्षक एवं ऊनसे ऊपर के अधिकारी	उनके अधिकार क्षेत्र के सभी सार्वजनिक स्थान
2.	राज्य सरकार के सभी राजपत्रित अधिकारी अथवा स्वायत्त संगठनों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के समकक्ष रैंक और उनसे ऊपर के अधिकारी	सरकारी कार्यालय/परिसर तथा स्वायत्त निकायों एवं निगमो के कार्यालय
3.	निदेशक/चिकित्सा अधीक्षक/अस्पताल प्रशासक	सरकारी तथा निजी अस्पताल
4.	संस्था का प्रमुख/एच. आर. प्रबधंक/प्रशासन प्रमुख	निजी कार्यालय/कार्य स्थल
[redacted].	कॉलेज, स्कूल/हैड मास्टर/प्राचार्य/शिक्षक	संबंधित शैक्षणिक संस्थान
6.	लाइब्रेरियन/सहायक लाइब्रेरियन/लाईब्रेरियन प्रभारी/लाइब्रेरी के अन्य प्रशासनिक स्टॉफ	लाइब्रेरी/पठन कक्ष
7.	निदेशक (जन स्वा.)/निदेशक स्वास्थ्य सेवा	सभी सार्वजनिक स्थान
8.	राज्य सरकार में प्रशासन प्रभारी	सभी सार्वजनिक स्थान
9.	स्टेट नोडल अधिकारी/जिला तथा राज्य स्तर पर तम्बाकू रोधी प्रकोष्ठ के फोकल प्वाइंट	सभी सार्वजनिक स्थान

प्रतिलिपि निम्न को पृथक् से प्रेषित कर लेख है कि भारत सरकार ने सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेद और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन 'प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 (भारत सरकर के असाधारण राज–पत्र भाग–2 खण्ड (3) उपखण्ड (1) में दिनांक 30–5–2008 को सार्वजनिक स्थलों पर धूमपाल का प्रतिषेध नियमावली, 2008 प्रकाशित) जो दिनांक 2–10–2008 से सम्पूर्ण भारत में प्रभावी है के प्रावधानों के अन्तर्गत :–

2. परिभाषा :–इन नियमों में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो :–

(क) "होटल" से वह भवन या भवन का कोई भाग अभिप्रेत है जहां भोजन की सुविधा अथवा अन्य सेवाओं के साथ या उसके बिना, पैसा लेकर या अन्यथा के लिए व्यवसाय की दृष्टि से ठहरने का स्थान प्रदान किया जाता है और इसमें बोर्डिंग हाऊस और गेस्ट हाऊस शामिल है।

(ख) "रेस्तरा" से कोई भी ऐसा स्थान अभिप्रेत है जहां तक जनता की पहुंच है जहां पर और पैसा लेकर या अन्यथा के लिए व्यवसाय की दृष्टि से किसी व्यक्ति द्वारा उपभोग के लिए किसी भी प्रकार के भोजन या ड्रिंक की आपूर्ती की जाती है और इसमें ऐसे परिसरों के आस-पास का खुला स्थान शामिल है और इसमें निम्नलिखित है :–

(1) अल्पाहार कक्ष, दावत हाल, डिस्कोथिक, कैन्टीन, कॉफी हाउस, पब, बार, एयरपोर्ट लाउंच और इन जैसे।

(ग) अधिनियम की धारा 3 (1) में उल्लिखित "खुले स्थान" में ऐसे कोई स्थान जहां जनता जाती है, शामिल नहीं होंगे जैसे ओपन ऑडिटोरियम, स्टेडियम, रेल्वे, बस/स्टॉप/स्टैंड और अन्य ऐसे स्थान।

(घ) अधिनियम की धारा 3 (1) में परिभाषित "सार्वजनिक स्थान" में कार्य स्थल, शॉपिंग माल और सिनेमा हाल भी शामिल होंगे।

(ङ) अधिनियम की धारा 4 में परन्तुक मं उल्लिखित "धूम्रपान क्षेत्र अथवा स्थान" से एक अलग हवादार धूम्रपान कक्ष अभिप्रेत है जो :–

(1) भौतिक रूप से अलग हो और जो चारों दिशाओं से पूरी ऊँचाई वाली दीवारों से घिरा हुआ हो, :

(2) जिसमें स्वतः बंद होने वाला दरवाजा जिसे सामान्यतः बंद करके रखा जाता है, के साथ प्रवेश द्वारा हो:

(3) जिसमें अनुसूची 1 में यथा विनिर्दिष्ट वायु प्रवाह प्रणाली हो,

(4) जिसमें भवन के शेष भाग की तुलना में नेगेटिव वायु दबाव हो,

(च) यहां पर प्रयुक्त किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों, जिनको नियमों में परिभाषित नहीं किया जाता है, परन्तु जिनको अधिनियम में परिभाषित किया गया है का अर्थ क्रमशः उनका अधिनियम में दिया गया अर्थ है।

3. सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपन का प्रतिषेध :–

(1) सार्वजनिक स्थान का मालिक, प्रॉपराइटर, प्रबन्धक, पर्यवेक्षक या मामलों का प्रभारी यह सुनिश्चित करेगा कि :–

(क) कोई भी व्यक्ति सार्वजनि स्थान पर धूम्रपान न करे (उसके क्षेत्राधिकार/अन्तर्निहित के अधीन),

(ख) सार्वजनिक स्थान के प्रवेश द्वारा पर, यदि एक से ज्यादा प्रेवश द्वार हैं तो ऐसे प्रत्येक प्रवेश द्वारा और उनके अन्दर सुस्पष्ट स्थान (स्थानों) पर अनुसूची 2 में उल्लिखित किए अनुसार बोर्ड प्रमुख रूप से लगाया जाना चाहिए।

(ग) धूम्रपान को सुविधाजनक बनाने वाली किसी भी एस्ट्रे, माचिस, लाइटर या इस प्रकार की डिजाइन की गई वस्तु को सार्वजनिक स्थान पर उपलब्ध नहीं करवाया जाना चाहिए।

(2) सार्वजनिक स्थान पर मालिक, प्रॉपराइटर, प्रबन्धक, पर्यवेक्षक या मामलों का प्रभारी उस व्यक्ति (व्यक्तियों) जिनके पास किसी व्यक्ति (व्यक्तियों) जो इन नियमों के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं, का नाम अधिसूचित करेगा और प्रमुख रुप से प्रदर्शित करेगा।

(3) यदि सार्वजनिक स्थान का मालिक, प्रॉपराइटर, प्रबन्धक, पर्यवेक्षक या प्राधिकृत अधिकारी ऐसा उल्लघंन सूचित करने पर कार्रवाई करने में असफल रहता है तो मालिक, प्रॉपराइटर, प्रबन्धक, पर्यवेक्षक या प्राधिकृत अधिकारी व्यक्तिगत अपराधों की संख्या के समतुल्य जुर्माना अदा करने का जिम्मेदार होगा)

(स्पष्टीकरण : इन नियमों के प्रयोजन के लिए अपराध का अर्थ नियमों के किसी उपबंध का उल्लघंन करता हुआ पाया जाने वाला व्यक्ति है)

4. होटल, रेस्तरां एवं हवाईपत्तन

(1) तीस या अधिक कमरों वाले होटल या तीस व्यक्तियों के बैठने की क्षमता वाले रेस्तरां मालिक, स्वामी, प्रबंधक या कार्य प्रभारी तथा हवाईपत्तन का प्रबंधक नियम 2 (ङ) में यथा परिभाषित धूम्रपान क्षेत्र अथवा स्थान की व्यवस्था कर सकता है।

(2) धूम्रपान क्षेत्र या स्थान होटल, रेस्तरां और हवाईपत्तन के प्रवेश द्वारा या निकास द्वार पर स्थापित नहीं किया जाएगा और इसे अंग्रेजी तथा एक भारतीय भाषा जो लागू हो, में "धूम्रपान क्षेत्र" के रूप में स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जाएगा।

(3) धूम्रपान क्षेत्र या स्थान का इस्तेमाल धूम्रपान के प्रयोजनार्थ ही किया जाएगा और कोई अन्य (सेवा) सेवाओं की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(4) तीस या अधिक कमरों वाले होटल का मालिक, स्वामी प्रबंधक, पर्यवेक्षक या कार्यप्रभारी से निम्नलिखित निर्धारित तरीके से पृथक् धूम्रपान कमरों को नामोदिष्ट कर सकता है :–

(क) इस तरह का नामोदिष्ट सभी कमरे उसी तल का स्कंध जैसा भी मामला हो, में एक पृथक् अनुभाग का निर्माण करेंगे। एक से अधिक तलों/स्कंधों के मामले में यह कमरा एक तल/स्कंध जैसा भी मामला होगा, में होगा।

(ख) ऐसे सभी कमरों को अंग्रेजी अथवा एक भारतीय भाषा, जो लागू हो, में स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जाएगा।

(ग) ऐसे कमरे से धुएं को बाहर संवातित किया जाएगा और लाबी एवं कारिडोर सहित होटल के गैर–धूम्रपान क्षेत्रों में नहीं/प्रवेश करेगा।

5. प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा अर्थदंड की वसूली

(1) अनुसूची 3 में उल्लिखित प्राधिकृत अधिकारी अधिनियम की धारा 4 के तहत कार्य करने और इसके उल्लघंन में किए गए अपराधों को प्रशमित करने के लिए सक्षम होंगे।

अनुसूची 2

[नियम 2 (ङ) 3 देखें]

(1) इसे प्रत्यक्षतया ही बाहर निष्कासित किया जाता है और भवन के अन्य भागों के लिए सप्लाई वायु में पुनः मिश्रित नहीं किया जाता है यथा

(2) यह नान–रिसर्कुलेटिंग एक्सहास्ट प्रणाली या एयर क्लीनिंग प्रणाली अथवा दोनों के संयोजन द्वारा सुसज्जित किया जाता है जिससे कि यह सुनिश्चित हो कि वायु केवल उसी तरीके से निर्मुक्त होती है जिससे यह धूम्रपान क्षेत्र या स्थान से गैर–धूम्रपान क्षेत्रों में पुनः संचरित अथवा स्थानान्तरित नहीं हो।

अनुसूची 2

[नियम 3 (ख) देखें]

(1) बोर्ड न्यूनतम 60 सेमी. गुणा 30 सेमी. आकार का सफेद पृष्ठ भूमि का होगा।

(2) इसमें कम–से–कम 15 सेमी. बाह्य व्यास का एक चक्र होगा जिसके कम–से–कम 3 सेमी. चौड़ी लाल परिमित होगी जिसके केन्द्र में काले धुएं के साथ सिगरेट अथवा बीड़ी का चित्र होगा और यह लाल पट्टी से रेखित होगा।

(3) सिगरेट के आर–पार लाल पट्टी की चौड़ाई लाल परिमिति की चौडाई के बराबर होगी।

(4) बोर्ड पर अंग्रेजी में अथवा किसी भारतीय भाषा में, जो लागू हो चेतावनी होगी "गैर–धूम्रपान–क्षेत्र–यहां धूम्रपान करना अपराध है"।

पृष्ठ 1 पर अंकित अधिसूचना राजस्थान सरकार के असाधारण गजट नोटिफिकेशन दिनांक 1–10–2008 में प्रकाशित की जा चुकी है। कृपया आपके अधीन संस्थानों में इन प्रावधानों की पालना सुनिश्चित करायी जावे।

राज्यपाल के आदेश से,

राम खिलाड़ी मीणा,

प्रमुख शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।